सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 50/2017

बउनवान

कजोड़ीबाई पत्नि कालूलाल जाति गुर्जर निवासी मुसई गूजरान तहसील अटरू जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1. दाखांबाई पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी मुसई गूजरान तहसील अटरू
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.12.2010 सहमति बंटवारा तहसीलदार अटरू केम्प मुसई गूजरान तहसील अटरू

उपस्थित :– 1– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री सत्यनारायण मीणा अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट कम 1)**
3– सदस्य लोक अदालत

लेक अदालत निर्णय दिनांक 29.05.2018

अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की, कि अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 ने संयुक्त रूप से वाके ग्राम मुसई गूजरान तहसील अटरू की आराजी खसरा नंबर 303/1663 रकबा 1.10 है. एवं खसरा नंबर 303 रकबा 0.66 है. कुल किता 2 रकबा 1.76 है. खातेदार रामचरण पुत्र भैरूलाल दर्जी निवासी मुसई गूजरान तह0 अटरू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.05.2008 को क्रय की थी। उक्त आराजीयात में अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 में बाहमी बंटवारा हो गया जिसके अनुसार अपीलांट के हिस्से में ख0नं0 303/1663 की 0.87 है. तथा रेस्पो0 कम 1 के हिस्से में शेष आराजी ख0 नं0 303 रकबा 0.66 है. व ख0 नं0 1824/303 रकबा 0.22 है. आयी। उक्त बाहमी विभाजन अनुसार ही अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 ने इसी अनुरूप आपसी सहमति से विभाजन किये जाने हेतु आवेदन केम्प मुसई गूजरान दिनांक 22.12.2010 को संयुक्त रूप से तहसीलदार अटरू को प्रस्तुत किया। जिसे उन्होने स्वीकार कर आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया।

उक्त आदेश की अनुपालना में इन्तकाल नंबर 873 दिनांक 22.12.2010 खोला गया जिसमें राजस्व कर्मियों ने सहवन से अपीलांट के हिस्से में जो भूमि दर्ज करनी थी उसे रेस्पो0 कम 1 के नाम तथा रेस्पो0 कम 1 के जो भूमि दर्ज करनी थी वह अपीलांट के नाम दर्ज कर दी। जबकि आज भी अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 उपरोक्तानुसार ही भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। जानकारी के अभाव में

अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 22.12.2010 सहमति बंटवारा तहसीलदार अटरू केम्प मुसई गूजरान निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण तहसीलदार अटरू को रिमाण्ड किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.09.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक इकबालिया जवाब अपील इस आशय का पेश हुआ कि उक्त आदेश की पालना में खोले गये इन्तकाल को खारिज फरमाया जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर इन्तकाल खोला जाकर तस्दीक किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व कर्मियों ने अपीलांट द्वारा किये गये आवेदन से परे जाकर आराजी का बंटवारा किया है ओर नामान्तरकरण दर्ज किया है जो गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः लोक अदालत की भावना से नामान्तरकरण संख्या 873 दिनांक 22.12.2010 केम्प मुसई गूजरान निरस्त फरमाया जाकर बाहमी बंटवारे व कब्जे के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने भी इकबालिया जवाब अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व कर्मियों ने केम्प में सहवन से अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। अतः लोक अदालत की भावना से नामान्तरकरण संख्या 873 दिनांक 22.12.2010 केम्प मुसई गूजरान निरस्त फरमाया जाकर बाहमी बंटवारे व कब्जे के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 दोनो ने ही ग्राम मुसई गूजरान के नामान्तरकरण संख्या 873 दिनांक 22.12.2010 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। अतः लोक अदालत की भावना से हम हस्तगत अपील एवं जवाब अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मुसई गूजरान का नामान्तरकरण संख्या 873 दिनांक 22.12.2010 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अटरू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सहमति बंटवारे अनुसार पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर बारां